125

संख्या– 696 / XVIII-(2)/F / 12–2(16) / 2007

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग देहरादूनःदिनांक 14 जनवरी, 2013

विषयः– वरूणावत उपचार कार्यो के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन द्वारा कराये जा रहे जनपद उत्तरकाशी के बड़ेथी से तेखला तक 9.5 कि0मी0 वैकल्पिक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित अवशेष धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में आपके पत्र संख्या–47 / तेरह–11 (2004–05), दिनांक 06 अक्टूबर, 2012 तथा टास्क फोर्स की नई दिल्ली में सम्पन्न हुई 11वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उत्तरकाशी के बड़ेथी से तेखला तक 9.5 कि.मी. वैकल्पिक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु टास्क फोर्स द्वारा ₹ 52.00 करोड़ की धनराशि अनुमोदित की गई है। प्रकरण में उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन ₹ 5366.02 लाख के सापेक्ष टी.ए.सी. द्वारा ₹ 5261.02 लाख की धनराशि औचित्यपूर्ण पायी गई है। प्रश्नगत प्रकरण में टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित अधिकतम ₹ 52.00 करोड़ की धनराशि ही स्वीकृत की जा सकती है। चूंकि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में ₹ 46.00 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति आपके निवर्तन पर निर्गत की जा चुकी है। अतः अवशेष ₹ 6.00 करोड़ (₹ छः करोड़ मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– विषयगत कार्य की गुणवत्ता, परियोजना में विलम्ब के कारण, लागत बृद्धि तथा अवशेष कार्यो को पूर्ण किए जाने हेतु आवश्यक औचित्यपूर्ण अतिरिक्त धनराशि इत्यादि के सम्बन्ध में जांच आख्या प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त जांच आख्या संतोषजनक पाये जाने एवं कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होने के उपरान्त ही स्वीकृत धनराशि व्यय हेतु बी.आर.ओ. को उपलब्ध करायी जायेगी।

2– विषयगत कार्य हेतु पूर्व में उपलब्ध करायी गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3– कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता / सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

6– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्ठयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

9– निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोर पर्चेज नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।

10– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-129 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

11– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

12– भविष्य में यदि प्रांकलन का पुनरीक्षण किया जाता है तो अतिरिक्त पुनरीक्षित लागत पर कोई सेन्टेज देय नहीं होगा।

13– कार्य कराने से पूर्व विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ एम.ओ.यू. गठित कर लिया जाये जिसमें defect liability clause का प्राविधान भी सुनिश्चित कर लिया जाए।

14– उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर डी.जी.बी.आर. को उपलब्ध करायी जायेगी।

15– स्वीकृत धनराशि उक्त वैकल्पिक मोटर मार्ग के निर्माण में ही व्यय की जायेगी, अन्य कार्यो में व्यय नहीं की जायेगी।

16– डी.जी.बी.आर. से Fund flow statement तथा विभिन्न कार्य मदवार समय सारणी प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाएगा तथा तद्नुसार मार्ग निर्माण की प्रगति का अनुश्रवण किया जायेगा ताकि निर्माण निर्धारित लागत व समयावधि में पूर्ण हो सके।

17– वैकल्पिक मार्ग का निर्माण National Highway की विशिष्ठयों के आधार पर किया जायेगा।

18– डी.जी.बी.आर. द्वारा निर्माण कार्य का विस्तृत आगणन बनाया जायेगा तथा कार्य के समाप्त होने पर यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे रा सरकार को वापस कर दिया जायेगा।

19– स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण प्रति त्रैमास व कार्य पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

20– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुदान संख्या 06 लेखाशीर्षक 4059–लो0नि0कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–800–अन्य भवन–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं –0101–वरूणावत पर्वत उत्तरकाशी का स्थिरीकरण (100% के0स0)–24 वृहत निर्माण कार्य की मद के नामें डाला जायेगा।

21– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या–82 P/वित्त अनु0 5/2012 दिनांक 09 जनवरी, 2013 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्या–696(1)/XVIII-(2)/12–2(16)/2007 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
3– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6– कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
7– आफीसर कमाडिंग, 1442 BCC (GREF) 931442 C/O 56 APO
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
9– निजी सचिव, मा0 मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन।
10– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव